

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022-3500/न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-23/03/26

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, जिला किशनगंज एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न विवरणी के कॉलम-2 में अंकित पदाधिकारियों को कॉलम-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 41 के अन्तर्गत कॉलम-4 में अंकित नगर निकाय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार वाले नगर निकाय
1	2	3	4
1	श्री मो० इरफान आलम	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, ठाकुरगंज
2	श्री प्रिंस कुमार	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिंधिया	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रोसड़ा

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022 3500 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-23/03/26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री मो० इरफान आलम, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज/श्री प्रिंस कुमार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिंधिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, ठाकुरगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रोसड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (नगर विकास एवं आवास विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R- R- R-
23/03/2026

सरकार के उप सचिव।